न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वीनरेश आर.ए.एस

ना पत्र संख्या ::– 17/2024

1. रामसुख पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
2. वंशीलाल पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
3. धीसीबाई पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
4. शंकरलाल पिता धीसालाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
5. रामेश्वर पिता धीसालाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
6. सत्यनारायण पिता धीसालाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
7. देउबाई पिता धीसालाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
8. नानीबाई पिता देवीलाल धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ
2. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार राज.सरकार

आदेश दिनांक ::– 30.06.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकारसे है कि ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का जयनगर तहसील बेगूँ की भूप्रबंध पूर्व की निम्नलिखित आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम सम्वत 2021–24 की जमाबंदी खातेदार तथा अन्य भोगी काश्तकार वर्गीकरण के खाता संख्या 1 में कजोड देवी चुनिया पिता जगराम धाकड सा0देह खातेदार में निम्नलिखित आराजीयात अंकित थी:–

आराजी संख्या	रकबा बीघा बिस्वा में
209	1बीघा 04 बिस्वा
212	2बीघा
203	1बीघा
211/337	08बिस्वा
कीता–4	कुलरकबा 4बीघा 12 बिस्वा

यह कि उक्त आराजीयात के भू–प्रबन्ध पश्चात के नवीन आराजी नम्बर निम्नलिखित अनुसार बने –

आराजी संख्या	रकबा बीघा बिस्वा में	हैक्टर
502	1बीघा 13 बिस्वा	0.2700
503	1बीघा 15 बिस्वा	0.2800
504	1बीघा 11 बिस्वा	0.2500
किता–3 कुलरकबा	4बीघा 19 बिस्वा	0.8000

यह कि उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का भूप्रबंध कार्यवाही पश्चात नवीन में बिना किसी वैध एवं विधिक आदेश के भूप्रबंध विभाग ने लिपिकीय त्रुटि करते हुए सम्वत की जमाबंदी में खाता संख्या 93 अंकित किया जिसमें भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज कजोड देवी । पिता जगराम धाकउ सा.देह खाते के स्थान पर बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण सा0 बेगूँ तेदार के रूप में दर्ज कर दी जबकि बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण नाम का कोई व्यक्ति । नहीं।

यह कि उक्त भूमि के स्वामी काश्तकार एवं खातेदार कजोड देवीलाल चुन्नीलाल उर्फ नीया पिता जगराम धाकड निवासी किशोरपुरा होकर उनके जीते जी भूमि उनके कब्जे काश्त में ही एवं उनके देहावसान पश्चात से हम प्रार्थीगण उनके वारिसान के कब्जे काश्त में निर्बाध रूप से चली आ रही है, हमारे परिवार का सजरा निम्नानुसार है :–

जगराम

|

कजोड — देवी — चुनिया उर्फ चुन्नीलाल

कजोड: लाऔलाद फोत

देवी: घीसा, नानी

चुनिया उर्फ चुन्नीलाल: रामसुख, बंशीलाल, घीसी

घीसा: शंकरलाल, रामेश्वर, सत्यनारायण, देउबाई

यह कि उक्त वर्णित भूमि जो भूप्रबंध विभाग ने लिपकीय भूल करते हुए पुराने एवं नवीन नम्बरो के मिलान के अलावा उनका कोई कार्य नहीं होते हुए अनाधिकृत रूप से भूमि को बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण के नाम कर दी जो आज तक इसी नाम से चली आ रही है क्यो िकइस नाम का कोई व्यक्ति ही नही है इस त्रुटि को सुधारा जाना कानूनन आवश्यक होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र लिपकीय त्रुटि के सुधार का होरक न्यायलाय श्रीमान के क्षैत्राधिकार श्रवणाधिकार का हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम किशोरपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 502, 503, 504 योग कीता– 3 कुल रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि जो प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की है एवं लिपिकीय त्रुटि से ही बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण के काल्पनिक नाम से दर्ज हो गई है को पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार प्रकरण मे उपस्थित आए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करत हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 1 व 2 रेकार्ड से प्रमाणित है। कलम नरं. 3 का जवाब इस प्रकार से है कि यह सही है कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात सम्वत 2021–24 में कजोड देवी चुनीया पिता जगराम धाकड सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध के पश्चात नवीन रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2028 आधार पर में उक्त भूमि बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण सा. बेगूँ के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि किस आधार पर बालकिन के ना मदर्ज कर दी गई इसका जमाबंदी सम्वत 2021–24 में अंकन नहीं है।

यह कि कालम नं. 4 का जवाब इस प्रकार से है कि आराजी नम्बर 502, 503, 504 कीता–3 रकवा 0.80 हैक्टर प्रार्थीगण रामसुख पिता चुन्नीलाल धाकड वगैरह के कई वर्षो से निर्बाध कब्जे काश्त में चली आ रही है। कालम नम्बर 5 का जवाब इस प्रकार है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम किशारपुरा की आराजी नम्बर 502, 503, 504 कीता–3 रकबा 0.80 हैक्टर लिपिकीय त्रुटि से

शन पिता काशीराम ब्राम्हण के नाम दर्ज कर दी गई। जो आज दिनांक तक चली आ रही है शुद्ध किया जाना उचित है। कलम नम्बर 6,7 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली भूमिधारी तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार की आरे से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ते हुए प्रार्थना पत्र में शुद्धि किये जाने को उचित बताया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को नपूर्वक सुना गया अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार ही किया है। त्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे ारा किया गया नकल जामबंदी सम्वत 2078 में दर्ज आराजी संख्या 502, 503, 504 कीता–3 रकबा .80 हैक्टर भूमि मौजा किशोरपुरा की बालकिशन पुत्र काशीराम ब्राम्हण के नाम पर दर्ज हैं। पत्रावली मे प्रस्तुत एक नामान्तरण नकल में गत आराजी संख्या 209, 212, 213211/337 कीता–4 रकबा 4बीघा 12 बिस्वा का पंजीकृत विकय खातेदार बालकिशन पुत्र काशीराम ब्राम्हण द्वारा श्री कजोड देवीलाल व चुनीलाल को कीमतन 700रुपये में पंजीकृत विकय किया है, जिससे यह इन्तकाल नम्बर 116 खोला गया हैं। प्रार्थीगण का यह कथन कि बालकिशन पुत्र काशीराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कहना सही नहीं है। उक्त नामान्तरण के प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर व सम्बन्धित अधिकारी की मोहर भी स्पष्ट नहीं है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 181 जो कि विरासत से खोला गया है जिसमें गौरी देवा कजोड धाकड के फोत होने पर विरासत व वसीयत के आधार पर नामान्तरण घीसालाल पिता देवीलाल धाकड सा.देह खतोदार के नाम पर खोला गया है। पंजीकृत वसीयतनामा की छायाप्रति पत्रावली मे प्रस्तुत की है। पत्रावली में भू–प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल जिसमें गत आराजी नम्बर के नवीन आराजी नम्बर अंकित है के कॉलम नम्बर 23 व 24 नाम कृषक गतभूमाप व नाम कृषक वर्तमान भूमाप में बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण का नाम दर्ज अंकित है। यह नकल सम्वत 2028 की प्रस्तुत है।

इस पत्रावली में एक नकल जमाबंदी संवत 2013से 2016 तक की पेश की है जिसमें गत आराजी नम्बर 209, 212, 213211/337 कीता– 4 रकबा 4बीघा 12 बिस्वा के खातेदार कृषक बालकृष्ण पिता काशीराम ब्राम्हण अंकित है तथा नाम कृषक के कॉलम सं0 5 में लाला पिता जयचंद्र, गोपाल पिता घीसा धाकड का नाम अंकित है। इस जमाबंदी के अंतिम कॉलम विशेष विवरण कॉलम संख्या 16 में एक नोट अंकित किया हुआ है कि ईन्तकाल नम्बर 116 बेचान से कीता–4 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा श्री कजोड देवीलाल चुन्नीलाल पिता जगराम के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित है। यह नोट इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भूमि इन्होने बालकृष्ण के पंजीकृत खरीद की है, यह नकल संवत 2013 से 16 की है लेकिन संवत 2028 की नकल जमाबंदी में पुनः बालकिशन पिता काशीराम का नाम आ रहा है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकरण लिपिकीय त्रुटी होने से शुद्धि करने का प्रतीत नहीं होता है, प्रार्थीगण को वर्णित कृषि आराजीयात को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए नियमानुसार घोषणा का वाद लाना चाहिए था, प्रकरण में प्रतिवादी भूमिधारी द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में भूमि पर कब्जा होने का कथन अंकित करते हुए तथा शुद्धि किया जाना भी उचित बताया है। इस प्रकार भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा भूमि खरीद किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा किशोरपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 502, 503, 504 योग किता 3 कुल रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि में से बालकिशन पिता काशीराम ब्राम्हण के नाम को हटाया जाता है तथा उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जात है।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं